Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/234
Peer Reviewed & Refereed Journal, MAY-JUNE 2024, Vol- 13/83

सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानक निर्धारण में चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ॰ प्रदीप कुमार प्रसाद

व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), किलाघाट, दरभंगा

डॉ॰ अमित रत्न द्विवेदी

समन्वयक, HUMANA People to People India

Paper Received On: 20 May 2024
Peer Reviewed On: 24 June 2024
Published On: 01 July 2024

Abstract

भारत में स्वतन्त्रता के उपरांत ही विभिन्न आयोगों, समितियों तथा समीक्षाओं के माध्यम से भारतीय जनता के लिए एक सुदृढ़ और वैश्विक स्तर के शिक्षा की संरचना की संकल्पना की जाती रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पृष्ठ संख्या 6 में तथा विभिन्न पैराग्राफ में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की पुरजोर सिफ़ारिश की गयी है। शिक्षा नीति में वर्तमान में लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी के गणित तथा भाषा विकास का न होने का भी वर्णन किया गया है। भारत में विभिन्न शिक्षा नीति का गठन एवं शिक्षा की समीक्षा का मूल उद्देश्य सदैव ही शिक्षा के गुणात्मक पक्ष को उजागर करने का प्रयास सम्मिलित है। वर्तमान शोध पत्र विभिन्न साहित्यों की समीक्षा के उपरांत लेखक द्वारा बनाए गए स्वयं के निर्णय पर आधारित है। इस शोध पत्र में वर्तमान 2024 में प्रारम्भिक स्तर पर संचालित हो रही शिक्षा के प्रमुख व्यवधानों का जिक्र करते हुए उसके संभावित समाधान पर पहुँचने का प्रयत्न किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा में सुधार लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विभिन्न स्तर पर कार्य कर रही हैं ऐसे में आधारभूत स्तर में क्या-क्या सुधार अथवा परिवर्धन कर शिक्षा को एक सुदृढ़ आधार दिया जा सकता है, यह शोध पत्र इसी की व्याख्या करता है।

किसी भी देश के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के अन्दर छिपी हुई शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य नये ज्ञान विचार, कुशलताओं, मूल्यो, आदर्शों आदि को सीखता है तथा उसकी मदद से परिस्थितियों को जानने, समझने तथा उसका विश्लेषण करने में वह दक्ष होता है अर्थात शिक्षा व्याक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक व्यवस्थापन के साथ सामंजस्य स्थापित करने को कहते हैं। कोई भी देश अपने अपार जनसंख्या को शिक्षित कर मानव संसाधन के विभिन्न रूपों मे विकसित कर एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना कर सकता है।

शिक्षा का विकास कमोवेश प्राचीन काल से होता रहा है। परंतु स्वतन्त्रता के बाद इसमें तेजी आई। संविधान में शैक्षिक विकास हेतु कई संवैधानिक प्रावधान उल्लिखित किए गए जिसमें अनु॰ 45 के तहत् 0-14 वर्ष की आयु के

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न आयोंगो एवं समितियो का गठन किया गया जिसके सुझावों एवं परामर्शों तथा कार्य योजनाओं को सरकार समय-समय पर क्रियान्वित करती रहती 42वें संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखकर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को शैक्षिक नीति बनाने की जिम्मेदारी दी गयी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने शैक्षिक विकास हेतु अपने-अपने स्तर से कार्य किया, लेकिन 20 वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक हम अपेक्षित लक्ष्यों तक नहीं पहुँच पाये। 21वीं सदी के प्रथक दशक में शिक्षा के विकास के लिए महती प्रयास किया गया। 86वें संविधान संशोधन (2002) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ तथा उसे संविधान के 21A में स्थान दिया गया। उसी वर्ष (2002 में) "सर्व शिक्षा अभियान" प्रारंभ हुमा । सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की सर्वव्यापी पहुँच, शत-प्रतिशत नामांकन, शत प्रतिशत ठहराव एवं गुणवततापूर्ण उपलब्धि के उद्देश्य निर्धारित किए गए, लेकिन प्राप्त करने में पूर्व की ही भांति ही असफल रहे। कक्षा 3, 4 एवं 5 के बच्चों में भाषा तथा गणित की दक्षता, कक्षा-2 के लिए निर्धारित भाषा तथा गणित की दक्षता से भी 50% कम है (ASER, Annual Status of Education Report 2011) । इस प्रकार विभिन्न वर्षों के ASER रिपोर्ट तथा समय-समय पर NCERT द्वारा कराई गयी National Achievement survey की रिपोर्ट में बिहार के प्रारम्भिक विद्यालयों शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर निम्न पाया गया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता की उपलब्धि निश्चित ही हमारे समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। गुणवततापूर्ण शिक्षा का अर्थ है वर्ग सापेक्ष दक्षता अर्थात उम्र के सापेक्ष निश्चित कक्षा में निश्चित विषय में जो दक्षताएं निर्धारित की गयी हैं उसे वर्ग तथा उम्र सापेक्ष बच्चों में संप्राप्ति अच्छे ज्ञान तथा समझ के रूप में विकसित किया जाए। जबतक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों में उपलध नहीं हो सकेगा, तब तक उसे योग्य एवं दक्ष मानवीय संसाधनों के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है।

शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों में कई कार्यक्रम पूर्व से ही चलाये जा रहे हैं, जिसके तहत समझे - सीखे नामक कार्यक्रम एवं एक पूर्ण-कालिक (कक्षा 1 तथा कक्षा-2 के लिए) शिक्षकों की व्यवस्था, बेस लाईन टेस्ट (Base line test) के आधार पर 3,4, तथा 5 के बच्चों का समूहीकरण कर विशेष को वर्ग कक्ष का संचालन, वर्ग सापेक्ष दक्षता हेतु उपचारात्मक कक्षा (Remedial classes) की व्यवस्था, गतिविधि (Activities) तथा TLM आधारित शैक्षिक व्यवस्था / LFM (शिक्षक साथी) तथा Learning plan (अधिगम योजना) के साथ पाठ प्रस्तुतीकरण को व्यवस्था। वर्ग कक्ष को आनन्दममी, सौहार्दपूर्ण तथा रोचक बनाकर शिक्षकों द्वारा कक्षा का संचालन एवं MDM, पोशाक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन (Enrolment) तथा ठहराव (Retention) कर सीखने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है।

शिक्षको को दक्ष एवं योग्य बनाने के लिए समय समय पर प्रेरणा, उद्भव, पल्लव, फलक, उजाला-1 एवं 2,. बोधि-संवाद इत्यादि प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। पूर्व में CRC में प्रत्येक माह एक दिवसीय आवर्ती प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती रही, जिसके तहत शिक्षकों को विषय वस्तु का ज्ञान तथा पर पढ़ने की तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। अप्रशिक्षित शिक्षकों को IGNOU (D.P.E) तथा SCERT (D.El.Ed) द्वारा प्रशिक्षित कर उन्हें योग्य एवं दक्ष बनाया जा रहा है। गुणवत्ता के विकास हेतु CTE, DIET, BITE तथा SCERT अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निभा रहे

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हैं। इन संस्थानों के द्वारा सेवा पूर्व एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जाता रहा है, वर्तमान में BPSC द्वारा नव-नियुक्त शिक्षकों को उन्मुखीकरण एवं आरंभिक प्रशिक्षण (Orientation & Induction Training) प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जब बिहार के शैक्षिक विकास का मूल्याकन करते हैं तो पाते हैं कि सर्वशिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि के मामले में हम निर्धारित लक्ष्य से दूर हैं। गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निभाना होगा। भाषा सेतु LFM (Learning Facilitator Manual) Learning प्लान, TLM, Teaching Aids तथा गतिविधि आधारित शिक्षा के सहयोग से अच्छी रणनीति बनाकर बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करना होगा। ज्ञानशाला के सहयोग से विकसित फ़लक पुस्तक सह अभ्यास पुस्तिका को शिक्षक द्वारा निर्धारित योजना के तहत कार्य करना होगा। शिक्षकों को शिक्षण के समय बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य सम्पन्न करना होगा। बच्चों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर शिक्षण के लिए यथोचित वातावरण का निर्माण करना होगा। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मकता तथा नवाचार विकसित करने के लिए यथोचित वातावरण का निर्माण करना होगा।

शिक्षा प्रक्रिया में प्रमुख बाधक तत्व

1. आधारभूत संरचना का अभाव - बिहार के प्रारम्भिक विद्यालयों में अभी भी आधारभूत भौतिक संसाधनो की अपार कमी है। विद्यालय में पर्याप्त मात्र में वर्ग-कक्ष, चेतना सत्र स्थल, खेल का मैदान, शौचालय एवं पेय जल की उचित मात्र में सुविधा की अनुपलब्धता है। वर्तमान में भी बहुत से विद्यालय भूमिहीन एवं भवनहीन ही संचालित किए जा रहे है। विद्यालय को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के रूप में उत्क्रमित करने के उपरांत उस विद्यालय को तदनुरूप आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकीं। मानवीय संसाधन के रूप में प्रायः विषयवार शिक्षकों का अभाव उच्च कक्षाओं को देखने को मिलती है।

2. न्यूनतम अधिगम स्तर – शिक्षा प्रक्रिया में न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण होना चाहिए (कोठारी, 1964) यह आज मात्र परिकल्पना बन कर रही गयी है। ऐसे में इस बात को सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पुनः जिक्र किया गया है की प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक न्यूनतम अधिगम स्तर की संप्राप्ति हो किन्तु इसे प्राप्त करने में आज भी विद्यालय असफल रहे हैं।

3. मूल्याकन का अभाव – मूल्याकन के लिए वर्तमान NEP 2020 में निर्माणात्मक मूल्याकन करने पर बल दिया गया है। किन्तु इस प्रकार के मूल्याकन के लिए आवशयक समय और समझ का होना अति आवश्यक है। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा जिसमें इस पर विशेष रूप से सत्र संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालय में शिक्षक मूल्याकन प्रक्रिया से परिचित हों तथा इसके उद्देश्य से परिचित होते हुए इसे प्रतिपादित करें जिससे विद्यार्थियों में आवश्यक सुधार लाया जा सके।

4. समतामूलक शिक्षा का अभाव- भारत के संविधान में सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर होने की बात की गयी है किन्तु वर्तमान में भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके नौनिहाल आज भी औपचारिक प्राप्त करने में असफल हैं। पिछड़े वर्ग में दलित, वंचित और बहुत से आदिवासी समाज के लोग आज भी हसिए पर अपना जीवन बिता रहे हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ऐसे में सभी के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

5. दक्षतानुरूप शिक्षा का प्रबंधन अभाव – शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान में जो संरचना है उसमें विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है ऐसे में विद्यार्थियों को उनकी दक्षता/योग्यता के अनुरूप शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बहु-कक्षीय तथा बहु-स्तरीय कक्षा का चलन आम होता जा रहा जिससे विद्यार्थी की दक्षता गौण पक्ष बनती जा रही है, इसलिए बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलग कक्ष की आवश्यकता है जिसे ज़्यादातर विद्यालयों में पूरा नहीं किया जा रहा है।

6. बौद्धिक विविधता का ह्रास – बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे से भिन्न होता है। ऐसे में शिक्षक की यह नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देते हुए शिक्षा प्रदान करे किन्तु कक्षा-कक्ष का अभाव, जर्जर विद्यालय तथा शिक्षक के अभाव के कारण सभी विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर पाना संभव नहीं होता है, जिसके दुष्परिणाम बौद्धिक विविधता के ह्रास के रूप में देखने को मिलती है। यदि सभी विद्यार्थी को सीखने के अवसर मिले जिससे उनका मानसिक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष विकसित हो तो विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास ज्यादा होगा और उसमें विविधता भी देखने को मिलेगी, किन्तु शिक्षा की मानवीय संरचना में कमी के चलते यह ह्रास के रूप में व्याप्त है।

7. विविध अधिगम स्तर बच्चे - शिक्षा के मूल रूप से तीन प्रकार है। औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर-औपचारिक। इन सभी प्रकार की शिक्षा में वे विद्यार्थी जो ऐसे वातावरण से आ रहे हैं जहां का समाज और परिवार शिक्षित और सभ्य है वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वहीं बहुत से विद्यार्थी ऐसे परिवेश से आते हैं जहां शिक्षा का महत्व कम है, ऐसे स्तरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है।

8. शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसाए विद्यालय में शिक्षक-विद्यार्थी 1:30 होना चाहिए तथा विशिष्ट विद्यालय में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:25 होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षक के सीधे संपर्क में आ सके। किन्तु वर्तमान में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों की उचित मात्रा में नियुक्ति नहीं हुई है ऐसे में शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन है।

9. सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक परिवेश में भिन्नता – विद्यालय समाज का लघु रूप होता है (डीवी) जहां विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चे आते हैं, ये बच्चे अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा इनके अपने समाज में होती है जिनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक परिवेश में भिन्नता होने के कारण बौद्धिक स्तर में भिन्नता व्याप्त हो जाती है। शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण करते समय ऐसे भिन्न परिवेशीय विद्यार्थियों को पढ़ाना एक कठिन कार्य बन जाता है।

10. समावेशी शिक्षा का अभाव – हमारे समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उचित संसाधन का अभाव है। समवेशी शिक्षा के लिए लड़के तथा लड़कियों को भी समान रूप से शिक्षित करना चाहिए। किन्तु आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने घर की लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। वंचित वर्ग और आदिवासी समाज के बच्चे भी एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए हमारे पास संसाधन और स्थान का अभाव है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदम

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण – बिहार सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं (CTE, DIET, BITE, SCERT) के माध्यम से बुनियादी साक्षारता एवं संख्या ज्ञान (FLN) तथा ICT आधारित प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण तथा प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण (बुनियाद-1 एवं 2) प्रदान किया जा रहा है जिससे शिक्षकों के शिक्षण में सकारात्मक बदलाव आए हैं। (चौधरी, सिंह एवं द्विवेदी, 2024) इसके साथ-साथ BIPARD (Bihar Institute of Public Administration and Rural Development) पटना तथा गया द्वारा प्रधानाध्यापकों, तथा BPSC नव-नियुक्त शिक्षकों का आरंभिक एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण चलाया जा रहा है।

2. अभिभावकों का जागरूकता – शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम अभिभावकों ओ जागरूक करना होगा, जिससे वे न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास करें। शिक्षक-अभिभावक मीटिंग प्रति सप्ताह अथवा माह में कम से कम एक बार अवश्य रूप की जानी चाहिए जिससे अभिभावक अपने पाल्य की शैक्षिक उपलब्धि के साथ-साथ शिक्षा प्रक्रिया के प्रति भी जागरूक होते रहें।

3. TLM का निर्माण एवं उपयोग- पाठ को रोचक और आकर्षक, सरल और सभी के सुलभ अथवा बोधगम्य बनाने के लिए TLM का निर्माण एवं उपयोग शैक्षिक कौशल के रूप में शिक्षकों को कक्षा-कक्ष में करना चाहिए। श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा शून्य बजटिंग TLM के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे शिक्षक कम खर्च में TLM का निर्माण कर एवं बच्चों से कराकर पाठ को रुचिकर ढंग से सरल और सहज तरीके से पढ़ा सकें। इस क्षेत्र में HUMANA People to People India तथा अज़ीम प्रेम जी जैसी संस्थाएं भी सरहनीय कार्य कर रही हैं।

4. शिक्षा को विद्यार्थी के अनुभव का अंग बनाना – शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रटने की प्रवृत्ति को कम करते हुए सैद्धान्तिक पक्ष को व्यवहारिक रूप से विद्यार्थी के अनुभव योग्य बनाना चाहिए। कक्षा-कक्ष के ज्ञान को वास्तविक परिवेश से जोड़कर प्रदान करना चाहिये जिससे वह विद्यार्थी के अनुभव का हिस्सा बन सके। (NCF -2005, BCF, 2008) शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण एवं संचालन के समय ही विद्यार्थी को अनुभव को ध्यान में रहा जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तदनुरूप शिक्षक को अपने दैनिक शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। (NCF- 2022)

5. कहानी विधि एवं प्रदर्शन जैसी नवाचार विधि का शिक्षण में उपयोग – शिक्षा प्रक्रिया को रोचक, प्रभावशाली एवं बोधगम्य बनाने हेतु नवाचार तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। गिजू भाई बधेका द्वारा कहनी विधि का समर्थन करने तथा इसके लिए तर्क देने के बाद से शिक्षण में इसके उपयोग की पुरजोर चर्चा प्रारम्भ हुई। भारत के शिक्षाशास्त्री रवीद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी तथा महर्षि अरविंद जैसे दर्शनिकों ने इस विधि से शिक्षा प्रदान करने की वकालत की है।

6. समय प्रबंधन – शिक्षण करते समय एक शिक्षक को समय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम को समय रहते पूरा किया जा सके। प्रत्येक पीरियड को बेहतर प्रस्तुतीकरण, सम्प्रेषण TLM, गतिविधि तथा मूल्याकन से होकर गुजरना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को प्रतिदिन की प्रत्येक कक्षा का आवश्यक अंग बनाना होगा।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

7. सांस्कृतिक गतिविधि – विद्यार्थियों के सिर्फ मानसिक पक्ष के विकास से उसका सर्वोत्तम विकास संभव नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि मानसिक पक्ष के साथ ही क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष तथा सामाजिक पक्ष का विकास हो। विद्यालय में इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बढ़िया माध्यम हो सकता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

8. संज्ञानात्मक पक्ष के साथ ही भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष पर ज़ोर- बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे के तीनों ही पक्ष पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। (गांधी,1937, ब्लूम, 1961) तीनों पक्षों में समन्वय के माध्यम से सर्वोत्तम विकास संभव है। एनईपी 2020 इन पक्षों के अलावा सामाजिक-भावात्मक उपागम के विकास पर जोर देता है।

9. सैद्धान्तिक पक्ष को व्यवहार जगत के साथ जोड़ना – एनसीएफ़ 2005, बीसीएफ़ 2008 और एनईपी 2020 के तहत एनसीएफ़ 2022 भी बच्चों के सैद्धांतिक पक्ष के वाह्य व्यवहार जगत से जोड़कर शिक्षा देने की वकालत करता है। इसके तहत भ्रमण, अवलोकन तथा प्रोजेक्ट विधि तथा विभिन्न गतिविधियों के द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

10. क्रियात्मक शोध का क्रियान्वयन- कक्षा-कक्ष में आने वाली शैक्षिक समस्याओं तथा विद्यालय की समस्याओं का चयन कर उसके समाधान हेतु कार्ययोजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन हेतु क्रियात्मक शोध का अनुप्रयोग करना। वर्तमान समय में विभिन्न शोध के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है।

11. शिक्षा में तकनीकी का अधिकतम उपयोग- शिक्षा को सभी के लिए सुलभ कराने के साथ ही शिक्षा के गूढ तथ्यों को विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य, सरल और उपयोग हेतु सहज बनाने के लिए शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। ICT के माध्यम से भाषा, गणित तथा विज्ञान के विभिन्न बिन्दुओं को वीडियो, पीपीटी अथवा प्रोजेक्टर, मोबाइल, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा सुलभ कराकर शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

12. उपयुक्त शिक्षण कौशल का उपयोग करना – विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप शिक्षण कौशल का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में कहानी विधि, करके सीखना, खेल विधि, गतिविधि के माध्यम से सीखना, अवलोकन, प्रोजेक्ट विधि, परंपरागत विधि, प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि के माध्यम से बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाकर शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

13. संसाधनों का उपयोग – प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने के लिए उन्हें विभिन्न TLM तथा किट का उपयोग कर पढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आशातीत कार्य किया गया है तथा प्रत्येक विद्यालय में किट उपलब्ध कराया गया है। विद्यालयों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इसका अधिकतम प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य सम्पन्न करें।

निष्कर्ष

वर्तमान शिक्षा के संचालन में अनेकानेक बाधाएँ हैं, जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता से अभिप्राय उम्र सापेक्ष, वर्ग सापेक्ष एवं विषय सापेक्ष पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित दक्षताएं प्राप्त करना ही शिक्षा में गुणवत्ता है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से विभिन्न बाधाओं को खोजने के साथ ही उसके

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संभावित समाधान पर विशद चर्चा की गयी है। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण कौशल, तकनीक प्रयोग शिक्षक, अभिभावक सभी में कमोवेश परिवर्तन लाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए विभिन्न बिन्दुओं के आलोक में सरकारी प्रयास के साथ-साथ माता-पिता, शिक्षक, समाज तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को मिलकर कार्य राष्ट्रीय हित में करना होगा।

संदर्भ सूची

District Information System for Education (DISE), Report 2022
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020
UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2018
गुप्ता, एस. पी. (2016) शिक्षा का ताना बाना, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज
मालवीय, आर. (2016) शिक्षा का समाजशास्त्र, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज
सिंह, ए. (2016) भारत का संविधान, यूनीवर्सल पब्लिकेशन, कानपुर
गुप्ता, एस. पी. (2009) भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज
मंगल, एस. के. (2009) शिक्षा तकनीकी, पी. एच. आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
https://www.unicef.org/india/hi/node/33102.07.2024
https://state.bihar.gov.in/educationbihar/CitizenHome.html 01.07.2024
https://www.education.gov.in/hi/technical-education-hi 01.02.2024

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies